विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-21/16

श्री अशोक कपलिश (संचालक), — आवेदक
मेसर्स केप्टिम प्राइवेट लिमिटेड,
पता– ए–46–47, औद्योगिक क्षेत्र,
मण्डीदीप, जिला– रायसेन म.प्र.

विरूद्ध

महाप्रबधंक (सं./सं., वृत्त) — अनावेदक
म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक 31.03.2017 को पारित)

01 विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, भोपाल द्वारा शिकायत प्रकरण क्रमांक बी.टी. 07/2016 श्री अशोक कपलिश विरूद्ध महाप्रबंधक (सं./सं.), वृत्त, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. भोपाल में पारित आदेश दिनांक 31.08.2016 से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

02 लोकपाल कार्यालय में उक्त अभ्यावेदन को प्रकरण क्रमांक एल00–21/16 में दर्ज कर तर्क हेतु उभय पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया गया ।

03 दिनांक 4.11.2016 को प्रकरण की सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से निम्न बिन्दुओं पर तर्क दिये –

अ अनावेदक द्वारा दिनांक 19.11.2012 को उनके परिसर में स्थापित एमई डिफेक्टिव होने के कारण दूसरी एमई जो कि 15/5 के अनुपात की थी, लगाई गई जिसके कारण मीटर का गुणांक (Multiply factor) 3 होना चाहिए था परन्तु अनावेदक द्वारा गुणांक (Multiply factor) 2 मानकर उन्हें मीटर में दर्ज रीडिंग माह मार्च, 2013 से सितंबर, 2015 तक 2 से गुणा करके बिल जारी किये जाते रहे। परन्तु बाद में अनावेदक को गलती मालूम होने पर उनके द्वारा संशोधित बिल उक्त अवधि का रूपये 5,30,725/– दिनांक 17.12.2015 को जारी किया गया जिसका कि भुगतान करने की तिथि दिनांक 26.12.2015 थी। चूंकि गुणांक (Multiply factor) की गणना करने की जबावदारी अनावेदक की थी अतः गलत गणना की जिम्मेदारी भी अनावेदक की है। अतः उपरोक्त अवधि में दिया गया बिल निरस्त किया जाए।

ब आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 19.11.2012 को 15/5 की एमई लगाने के पश्चात एवं दिनांक 25.2.2013 को उनके परिसर में लगा मीटर डिफेक्टिव होने पर मीटर बदलने पर पॉवर फैक्टर कम दर्ज किया जाता रहा तथा जिस पर लगे सरचार्ज का उनके द्वारा

मार्च 2013 से सिंतबर 2015 तक की अवधि का भुगतान किया जाता रहा। उक्त कम पॉवर फैक्टर संविदा मांग के अनुपात में अधिक क्षमता की एमई लगाये जाने एवं उनकी फैक्ट्री में प्रतिदिन अधिकतम टाईम 5 प्रतिशत से लोड कम होने पर एमई द्वारा असमान्य व्यवहार करते हुए लो पॉवर फैक्टर दर्ज हुआ जिसका कि भुगतान उनके द्वारा इस अवधि में रूपये 3,90,671/– किया गया। उक्त तर्क के संबंध में आवेदक द्वारा पत्र प्रस्तुत किया। (ओई–1)

04 तर्क के दौरान आवेदक के तकनीकि सलाहकार द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में पूर्व संस्था मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा जारी परिपत्र प्रस्तुत किया (ओई–2 एवं 3) तथा वर्ष 2008 से मई, 2016 की अवधि तक की विद्युत खपत, पॉवर फैक्टर, संविदा मांग आदि का विवरण प्रस्तुत किया। (ओई–4)

05 आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि विद्युत प्रदाय संहिता, 2013 की कंडिका 8.15 एवं 8.16 के प्रावधान अनुसार यदि अनावेदक द्वारा समय–समय पर मीटर एवं एमई पर लोड टेस्ट किया जाता तो मीटर के गुणांक (Multiply factor) की गलती सामने आ सकती थी परन्तु अनावेदक द्वारा लोड टेस्ट नहीं किया गया। आवेदक द्वारा यह भी बताया कि दिनांक 19.11.2012 को लगाई गई 15/5 की एमई संविदा भार के अनुरूप ना होने के कारण कम पॉवर फैक्टर रिकार्ड किया गया जबकि उनके यहॉ निर्धारित क्षमता का केपेसिटर बैंक स्थापित था।

06 अनावेदक द्वारा उपरोक्त तकनीकि तर्कों पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा। दिनांक 21.11.2016 को सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा आवेदक के प्रस्तुत अभ्यावेदन के संदर्भ में तर्क के दौरान बताया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत परिपत्र मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा जब जारी किया गया था तब इलेक्ट्रो मेकेनिकल मीटर का उपयोग किया जाता था जिसके कारण उपयुक्त क्षमता की सीटीपीटी लगाया जाना आवश्यक था जिससे कि वो सही विद्युत खपत, कम लोड होने पर भी दर्ज कर सके। परन्तु वर्तमान में विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अधिक संवेदनशील (Sensitive) मीटर का उपयोग किया जा रहा है जो कि कम लोड पर भी विद्युत खपत एवं अन्य पैरामीटर दर्ज करने के लिए सक्षम हैं। अतः उक्त परिपत्र की प्रासंगिकता (relevance) नहीं रह जाती।

07 अनावेदक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि आवेदक को दिनांक 10.3.2008 को विद्युत कनेक्शन देते समय 15/5 की एमई लगाकर विद्युत कनेक्शन दिया था, जो कि दिनांक 3.8.2012 को डिफेक्टिव हुई थी जिसे दिनांक 19.11.2012 को पुनः 15/5 की सीटी लगाकर बदला गया। विद्युत कनेक्शन देने की तिथि दिनांक 10.3.2008 से सीटी बदलने की तिथि 19.11.2012 तक की अवधि में आवेदक के यहॉ कई माहों में निर्धारित सीमा से कम पॉवर फैक्टर और कई माहों में निर्धारित पॉवर फैक्टर भी दर्ज किया गया। अतः आवेदक का यह कहना कि 15/5 की क्षमता की सीटी लगाये जाने के कारण एवं दिनांक 25.2.2013 को मीटर बदलने के पश्चात कम पॉवर फैक्टर दर्ज हुआ तकनीकि दृष्टि से उचित नहीं है।

08 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक द्वारा प्रथम बार दिनांक 13.7.2015 को मीटर एमई की टेस्टिंग का अनुरोध किया गया (ओई–5)। आवेदक के अनुरोध पर दिनांक 28.10.2015 (ओई–6) को मीटर एवं एमई चैक करने पर पाया गया कि मीटर गुणांक (Multiply factor) 3 है, जबकि 2 गुणांक (Multiply factor) लगाकर पूर्व में बिलिंग की जा रही थी। मीटर परीक्षण में सभी पैरामीटर निर्धारित सीमा में पाये गये तथा मीटर एवं एमई की कार्यशीलता भी सही पायी गई।

09 अनावेदक द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक को जब पूरक बिल दिनांक 17.12.2015 (ओई–8) जारी किया गया तब आवेदक द्वारा प्रथमबार दिनांक 26.2.2016 को 15/5 की एमई को त्रुटिग्रस्त मानते हुए उनके द्वारा मार्च 2013 से सितंबर 2015 तक कम पॉवर फैक्टर के कारण सरचार्ज बिलिंग को पूरक बिल में समायोजित करने का अनुरोध किया । जबकि आवेदक स्वयं को कम पॉवर फैक्टर दर्ज होने पर उसको निर्धारित सीमा में संधारित किया जाना था अथवा आवेदक द्वारा अनावेदक को एमई त्रुटिग्रस्त होने की शिकायत की जानी थी, परन्तु बिना आपत्ति लिए उनके द्वारा लगातार पॉवर फैक्टर सरचार्ज का भुगतान किया जाता रहा।

दोनों पक्षों के तर्क सुनने के पश्चात प्रकरण की वस्तुतस्थिति निम्नानुसार है –

10 आवेदक को 100 केवीए संविदा भार हेतु विद्युत कनेक्शन दिनांक 10.03.2008 को 15/5 की एमई लगाकर दिया गया था।

11 उपरोक्त एमई दिनांक 3.8.2012 को डिफेक्टिव हो गई। दिनांक 3.10.2012 को 10/5 की एमई लगाकर सप्लाई प्रारंभ कर दी गई। परन्तु यह एमई भी त्रुटिग्रस्त हो गई। एमई पुनः त्रुटिग्रस्त होने के कारण दिनांक 19.11.2012 को 15/5 की एमई से बदला गया, परन्तु भूलवश मीटर गुणांक (Multiply factor) 2 जो कि 10/5 की एमई की स्थापना के समय था वही लिख दिया गया जबकि 15/5 की एमई लगी होने से यह गुणांक (Multiply factor) 3 होना चाहिए था।

12 दिनांक 19.11.2012 को 15/5 की स्थापित एमई के स्थान पर दिनांक 19.12.2015 को 5/5 की एमई लगाई गई। तर्क के दौरान अनावेदक द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 19.11.2012 को संविदा भार अनुसार 5/5 की एमई उपलब्ध न होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त कर 15/5 की एमई लगाई गई एवं दिनांक 19.12.2015 को 5/5 की एमई उपलब्ध होने पर एमई को पुनः बदला गया।

13 वर्तमान में आवेदक की संविदा भार 50 केवीए है। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (ओई–4) के अनुसार मार्च 2008 से 19.11.2012 तक 15/5 की एमई उनके परिसर में स्थापित थी जिसके अनुसार निर्धारित सीमा से कम एवं अधिक पॉवर फैक्टर विभिन्न माहों में दर्ज किया जाता रहा। तदनुसार उन्हें आवश्यकतानुसार पॉवर फैक्टर सरचार्ज की बिलिंग भी की जाती रही।

14 दिनांक 19.11.2012 को 15/5 की नई एमई लगाये जाने पर एवं दिनांक 25.2.2013 को मीटर डिफेक्टिव होने के कारण बदलने पर पॉवर फैक्टर निरंतर 0.60 से अधिकतम 0.74 तक दर्ज किया जाता रहा। जिसके फलस्वरूप उन्हें केपेसिटर सरचार्ज की बिलिंग की जाती रही। दिनांक 19.12.2015 को 5/5 की एमई के बदलने के तुरंत बाद पॉवर फैक्टर जनवरी, 2016 से निर्धारित सीमा से अधिक दर्ज किया जा रहा है। आवेदक द्वारा इस संबंध में तर्क प्रस्तुत किया कि 15/5 की एमई स्थापित मीटर के अनुकूल (Compatible) नहीं थी।

15 तर्क के दौरान अनावेदक से पूछने पर कि 5/5 की एमई लगाये जाने के बाद क्यों आवेदक का पॉवर फैक्टर निर्धारित सीमा या उससे अधिक दर्ज किया जा रहा था। इस संबंध में अनावेदक द्वारा बताया गया कि चूंकि पॉवर फैक्टर का कम–ज्यादा होना आवेदक के परिसर में लगाये गये केपेसिटर्स को कार्यरत लोड के अनुसार क्रियाशील होना आवश्यक है। यह संभव है कि आवेदक द्वारा कम पॉवर फैक्टर रिकार्ड होने पर अपने परिसर में स्थापित केपेसिटर्स यूनिट में कुछ परिवर्तन अथवा तीनों फेज पर विद्युत भार संतुलित किया गया हो। परन्तु आवेदक का

यह कहना कि स्थापित मीटर 15/5 एमई से अनुकूल नहीं था, उसकी पुष्टि तो केवल मीटर एवं एमई के परीक्षण उपरांत ही हो सकती है।

16 उपरोक्त प्रकरण के निराकरण हेतु इस संबंध में माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत प्रदाय संहिता 2013 का अवलोकन किया गया, जिसमें मीटर परीक्षण एवं दोषपूर्ण मापयंत्र के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं –

*मापयन्त्रों का परीक्षण (**Testing of Meters**) :*

8.15 अनुज्ञप्तिधारी निम्न अनुसूची के अनुसार मापयपयन्त्रों का नियतकालिक निरीक्षण/परीक्षण भी करेगाः

*(अ) एकल फेज/तीन फेज मापयन्त्रो ं (**Single Phase/Three Phase Meters**) का पाचं वर्ष में कम से कम एक बार।*

*(ब) उच्चदाब मापयन्त्रो ं (**H.T. Meters**) का प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार।*

जहां कहीं सीटी एवं पीटी स्थापित किये गये हों, का परीक्षण भी मापयन्त्रों के साथ ही किया जाएगा।

यदि आवश्यक हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्यमान मापयन्त्र को परीक्षण हेतु हटाया भी जा सकेगा। तथापि, ऐसी परिस्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि को इस आशय की उपभोक्ता को प्रामाणिक सूचना प्रस्तुत करनी होगी और अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा मापयन्त्र निकालने के पूर्व अपना नाम व पद सहित हस्ताक्षर कर उपभोक्ता को पावती देनी होगी। उपभोक्ता, इस प्रकार मापयन्त्र को हटाने पर अपनी आपत्ति प्रकट नहीं करेगा।

*दोषपूर्ण मापयन्त्र (**Defective Meters**) :*

8.16 किसी मापयन्त्र (मीटर) एवं संबंधित उपकरण की परिशुद्धता के बारे में युक्तियुक्त शंका होने पर अनुज्ञप्तिधारी को उनके परीक्षण करने का अधिकार होगा तथा इस हेतु उपभोक्ता, अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण करने में वांछित सहायता भी उपलब्ध करायेगा। मापयन्त्र परीक्षण के दौरान उपभोक्ता को उपस्थित रहने की अनुमति भी दी जाएगी।

8.17 कोई भी उपभोक्ता मापयन्त्र (मीटर) की परिशुद्धता के बारे में शंका होने पर अनुज्ञप्तिधारी को मापयन्त्र का परीक्षण करने के लिए आवश्यक परीक्षण शुल्क के भुगतान द्वारा अनुरोध कर सकता है। आवेदन प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर अनुज्ञप्तिधारी मापयन्त्र के परीक्षण की व्यवस्था करेगा। इलेक्ट्रॉनिक मापयन्त्रों की प्राथमिक जांच उपभोक्ताओं के परिसर में इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण उपकरण के माध्यम से की जा सकगी।

*8.18 मापयन्त्र (मीटर) के प्रयोगशाला में परीक्षण किये जाने वाले सभी प्रकरणों में उपभोक्ता को परीक्षण की प्रस्तावित दिनांक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व दी जाएगी ताकि उपभोक्ता या उसका अधिकृत प्रतिनिधि परीक्षण के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सके। यदि परीक्षण के समय उपभोक्ता या उसका प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं तो परीक्षण परिणाम–पत्रक (**test result sheet**) पर उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त किये जाएंगे।*

8.19 यदि कोई उपभोक्ता अपने मापयन्त्र (मीटर) का परीक्षण अनुज्ञप्तिधारी की प्रयोगशाला के बजाय किसी स्वतंत्र प्रयोगशाला में उसके स्वयं के व्यय पर कराने का इच्छुक हो तो वह ऐसा आयागे द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला मे ं आवश्यक प्रभारों के भुगतान द्वारा कर सकेगा

17 **विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 6.14, 6.15 एवं 6.16 के अनुसार आवेदक को निर्धारित क्षमता के केपेसिटर निर्धारित पॉवर फैक्टर संधारित करने हेतु लगाये जाना आवश्यक हैं। आवेदक को स्वयं अपने परिसर का पॉवर फैक्टर निर्धारित सीमा तक संधारित करना है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसा मापयंत्र विद्युत परिसर में लगाया जाना आवश्यक है जिसमें कि पॉवर फैक्टर अभिलेखन का फीचर हो जिससे कि उपभोक्ता को समय–समय पर यह मालूम हो सके कि उनके परिसर में औसत पॉवर फैक्टर किसी भी समय निर्धारित सीमा के अनुरूप है अथवा नहीं।**

18 इस प्रकरण में मार्च 2013 से सितंबर 2015 तक लगातार कम पॉवर फैक्टर दर्ज किया जाता रहा तथा अधिभार का भुगतान भी उपभोक्ता द्वारा किया जाता रहा। परन्तु उपभोक्ता द्वारा कोई भी दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि यह इंगित करे कि उनके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को कम पॉवर फैक्टर दर्ज किये जाने बाबत् अवगत कराया जाता रहा। आवेदक को जब 3 गुणांक (Multiply factor) से अनुपूरक बिल जारी किया गया तब उनके द्वारा उक्त अवधि में लो पॉवर फैक्टर का अधिभार का समायोजन करने का अनुरोध किया गया। जबकि पॉवर फैक्टर को निर्धारित सीमा पर संधारित करने की जबावदारी आवेदक की है।

19 आवेदक का यह कथन कि जो मीटर दिनांक 25.2.2013 को लगाया गया था वह दिनांक 19.11.2012 को 15/5 की लगाई गई एमई से अनुकूल (Compatible) नहीं था, इसकी पुष्टि केवल परीक्षण करने से ही की जा सकती थी। परन्तु आवेदक एवं अनावेदक दोनों पक्ष इसके लिए सहमत नहीं थे। विद्युत लोकपाल द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.19 के अनुसार किसी स्वतंत्र प्रयोगशाल में एमई की अनुकूलता (Compatibility) का परीक्षण करने की सलाह दी परन्तु परीक्षण फीस अधिक होने से आवेदक द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया, जबकि इस कंडिका के अनुसार परीक्षण में आने वाले संपूर्ण व्यय को आवेदक द्वारा ही वहन करना है।

20 लोकपाल द्वारा अनावेदक से पूछने पर कि क्या दिनांक 19.11.2012 को लगाई गई एमई जिसे कि पुनः 19.12.2015 को 5/5 की एमई से बदला गया था को उसी फीचर के मीटर सहित पुनः वर्तमान में स्थापित मीटर एवं एमई के समानांतर स्थापित किया जा सकता है, जिससे कि आवेदक के परिसर में स्थापित लोड, केपेसिटर्स की स्थिति के अनुसार वास्तविक दर्ज संविदा मांग, विद्युत खपत एवं पॉवर फैक्टर की तुलना कर इस बात की पुष्टि की जा सके कि दिनांक 19.11.2012 को लगाई गई 15/5 की एमई दिनांक 25.2.2013 को स्थापित नये मीटर के साथ अनुकूल (Compatible) थी अथवा नहीं आवेदक द्वारा कहा गया कि ऐसा किया जाना संभव है।

21 उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों एवं प्रस्तुत परीक्षण प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि अनावेदक द्वारा प्रतिवर्ष मीटर एवं एमई का परीक्षण किया गया, परन्तु लोड टेस्ट नहीं किये जाने के कारण गुणांक (Multiply factor) की गलती नहीं मालुम हो सकी। दिनांक 28.10.2015 को जब मीटर एवं एमई पर लोड परीक्षण आवेदक के अनुरोध पर किया गया तब यह मालूम

पड़ा कि मीटर का गुणांक (Multiply factor) 3 है। जबकि इसके पूर्व मीटर का गुणांक (Multiply factor) 2 मानकर आवेदक को बिल दिये जाते रहे। इससे यह भी प्रमाणित है कि आवेदक द्वारा किये गये वास्तविक विद्युत उपयोग से कम का बिल दिया गया। अतः यह कहना कि अनावेदक द्वारा मीटर के गुणांक (Multiply factor) की गलती के कारण पूरक बिल के भुगतान के लिए वे जिम्मेदार नहीं हैं उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि अनावेदक द्वारा निश्चित तौर पर अधिक खपत इस अवधि में की गई परन्तु गुणांक (Multiply factor) की गलती के कारण उन्हें उनके द्वारा की गई वास्तविक खपत के अनुरूप विद्युत बिल नहीं दिया जाना भूल–चूक लेना–देना के सिद्धांत पर भुगतान किये जाने योग्य है।

22 इस संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) के विरूद्ध अपीलीट ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा अपील क्रमांक 202 एवं 203 वर्ष 2006 अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. विरूद्ध मेसर्स सिसोदिया मारवल एवं ग्रेनाईट्स प्रा.लि. में पारित आदेश के पैरा 17 में निम्नानुसार राय दी गई–

"Thus, in our opinion, the liability to pay electricity charges is created on the date electricity is consumed or the date the meter reading is recorded or the date meter is found defective or the date theft of electricity is detected but the charges would become first due for payment only after a bill or demand notice for payment is sent by the licensee to the consumer. The date of the first bill/demand notice for payment, therefore, shall be the date when the amount shall become due and it is from that date the period of limitation of two years as provided in Section 56(2) of the Electricity Act, 2003 shall start running."

उपरोक्त दृष्टांत से विद्युत लोकपाल भी सहमत है। क्योंकि इस प्रकरण में जैसे ही मीटर के गुणांक (Multiply factor) की गलती दिनांक 28.10.2015 को परीक्षण के दौरान पाई गई अनावेदक द्वारा समय–सीमा में पूरक बिल आवेदक को जारी कर दिया गया।

23 आवेदक द्वारा भी पूरक बिल प्राप्त होने पर मार्च 2013 से सितंबर 2015 के बीच में उनसे ली गई केपेसिटर सरचार्ज की राशि जो कि कम पॉवर फैक्टर दर्ज होने के कारण लगाई गई थी, को मीटर के गुणांक (Multiply factor) के विरूद्ध दिये गये पूरक बिल में समायोजित कर शेष राशि जमा कराने की सहमति दी थी। आवेदक का यह कथन कि उनके यहॉ दिनांक 19.11.2012 को स्थापित 15/5 की एमई दिनांक 25.2.2013 को लगाये गये मीटर से अनुकूल नहीं थी जिस कारण कम पॉवर फैक्टर दर्ज किया गया, की पुष्टि केवल परीक्षण से ही सिद्ध हो सकती है। परन्तु परीक्षण के लिए आवेदक परीक्षण फीस जमा करने को तैयार नहीं है।

24 **उपरोक्त तर्कों एवं तथ्यों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि –**

अ अनावेदक द्वारा मीटर गुणांक (Multiply factor) की गलती मिलने पर माह मार्च 2013 से सितंबर 2015 तक की अवधि के लिए की गई पूरक बिलिंग उचित एवं न्यायपूर्ण है।

ब आवेदक के परिसर में दिनांक 19.11.2012 को स्थापित 15/5 की एमई की अनुकूलता (Compatibility) दिनांक 25.2.2013 को लगाये गये मीटर के साथ है अथवा नहीं, की पुष्टि उक्त एमई को समान फीचर के मीटर के साथ वर्तमान में लगी हुई एमई एवं मीटर के समानांतर स्थापित कर दर्ज खपत एवं पॉवर फैक्टर की तुलना करने के पश्चात ही की जा सकती है।

अतः आदेशित किया जाता है कि –

(i) अनावेदक द्वारा मीटर गुणांक (Multiply factor) की गलती मिलने पर माह मार्च 2013 से सितंबर 2015 तक की अवधि के लिए की गई पूरक बिलिंग की राशि का भुगतान आवेदक द्वारा किया जाए।

(ii) अनावेदक द्वारा दिनांक 19.12.2015 को आवेदक के परिसर से निकाली गई 15/5 की एमई को समान फीचर के मीटर के साथ वर्तमान में स्थापित एमई एवं मीटर के समानांतर स्थापित कर दोनों मीटरों द्वारा दर्ज पॉवर फैक्टर की तुलना करें और यदि यह पाया जाता है कि 15/5 की एमई के साथ लगे मीटर में कम पॉवर फैक्टर दर्ज हो रहा है तब आवेदक को मार्च 2013 से सितंबर 2015 तक की अवधि में कम पॉवर फैक्टर दर्ज होने के कारण केपेसिटर सरचार्ज की गई बिलिंग राशि का समायोजन मीटर गुणांक (Multiply factor) के विरूद्ध दिये गये पूरक बिल में किया जाए।

(iii) यदि दोनों विद्युत स्थापना में दर्ज पॉवर फैक्टर में कोई भी अंतर नहीं प्राप्त होता है तब आवेदक को मीटर गुणांक (Multiply factor) 3 के विरूद्ध दिये गये पूरक बिल की अवधि के अनुरूप ही मासिक किश्तों में जमा कराने की सहूलियत दी जाए।

(iv) उपरोक्त आदेशित बिन्दुओं पर एक माह में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

(v) उभय पक्ष प्रकरण में हुए व्यय को अपना–अपना वहन करेंगे।

25 आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल